अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–.....61.....सन् 2016–17

केश का प्रकार : एन0एच0104 अपील वाद अंतर्गत मध्यस्थ न्यायालय

अर्जीकार–संजीव कुमार यादव

प्रतिपक्षी:– सरकार (जिला भू–अर्जन पदा0 / परियोजना निदेशक,रा0उच्च पथ)

आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
19.5.16	प्रस्तुत वाद आवेदक श्री संजीव कुमार यादव पिता स्व. गणेश यादव साकिन–बेला बेलही, पोस्ट–बेला, थाना–जयनगर, अंचल–जयनगर जिला–मधुबनी द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस न्यायालय में आवेदन दायर किया गया है। आवेदक का आवेदन है कि एन0एच0104 के चौड़ीकरण हेतु मौजा–बेलहा बेलही अंचल–जयनगर के नया खेसरा संख्या–131 का 0.440 हेक्टेयर भी अर्जन किया गया है। खेसरा संख्या–131 का पूराना सर्वे खतियान खेसरा–84 है। कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान खेसरा–84 का कुल रकवा 0–7–2 (सात कट्ठा दो धूर) भूमि बोकन मियॉ एवं अन्य के नाम से है। कैडेस्ट्रल सर्वे के समय उक्त भूमि बोकन मियॉ, गुलाब अली, अब्दुल एवं महबूब उर्फ महगु के दखल कब्जा में था जो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के अभ्युक्ति कॉलम में दर्ज है। आपसी बटवारा में खेसरा संख्या–84 का 0–1–10 (एक कट्ठा दस धूर) महगु मियॉ के हिस्सा में आया। उक्त महगु मियॉ को पैसे की आवश्यकता हुयी जिसके फलस्वरूप उक्त एक कट्ठा दस धूर जमीन उन्होंने लक्ष्मी नायक एवं बच्चा नायक पिता मनु नायक के हाथों निबंधित केवाला के द्वारा हस्तान्तरित कर दिया। खरिददार लक्ष्मी नायक एवं अन्य के आपसी बटवारा में उक्त भूमि बच्चा नायक के हिस्सा में आया जिन्होंने पैसे की आवश्यकता होने पर निबंधित केवाला के माध्यम से उक्त भूमि **अवध किशोर साह** एवं तुलाई यादव को हस्तान्तरित कर दखल दे दिया। तुलाई यादव एवं अवध किशोर साह के बीच आपसी बटवारा में पन्द्रह–पन्द्रह धूर करके प्राप्त हुआ। खेसरा संख्या–84 की उक्त भूमि का उक्त दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने हिस्सा की जमीन का दाखिल खारिज करवाया। सिंचाई विभाग बिहार सरकार द्वारा खेसरा संख्या–84 के एक कट्ठा दस धूर जमीन पर दावा किया जाने लगा। तुलाई यादव की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी जयनगर के न्यायालय में सीमांकन वाद संख्या 24 / 98–99 दायर किया गया, जिसमें अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर ने आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करते हुये सीमांकन करने का आदेश अंचल अधिकारी, जयनगर को दिया। आवेदक ने जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी से खेसरा संख्या–84 के भू–अर्जन के संबंध में मांगी गयी सूचना के आलोक में उक्त भू–अर्जन नहीं होने की सूचना दी गयी। सर्वे अमला की गलती से **रिविजनल सर्वे के समय नया खेसरा संख्या–131 को बिहार सरकार के नाम से खाता खोल दिया गया** जिसके विरूद्ध धारा–106 बी0टी0एक्ट के अंतर्गत अवध किशोर दास एवं तुलाई यादव की ओर से वाद संख्या–1168 / 1993 दायर किया गया जिसमें सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी ने सुनवाई कर आदेश पारित करते हुये खतियान में आवेदक का नाम दर्ज करने का आदेश दिया तथा रिविजनल सर्वे खतियान में वादी का नाम संशोधित किया गया। तुलाई यादव ने प्रश्नगत खेसरा में से 0–0–3 (तीन धूर) जमीन संजीव कुमार यादव (आवेदक) के हाथों निबंधित केवाला के माध्यम से हस्तान्तरित कर दखल दे दिया गया। प्रश्नगत भूमि मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित है जहॉ कई आवासीय मकान एवं आवासीय घर है। कय की गयी उक्त भूमि का आवेदक के पक्ष में दाखिल खारिज हुआ एवं सरकार	

को वे लगान अदा करते आ रहे हैं।

विपक्षी संख्या–2 की ओर से अंचल अधिकारी, जयनगर से वास्तविक स्थलीय जॉच प्रतिवेदन मांगा गया जो अंचल अधिकारी के स्तर से प्रतिवेदित किया गया है।

आवेदक खेसरा संख्या–131 से भारत सरकार द्वारा अर्जन की गयी आवेदक की भूमि का उचित मुआवजा पाने के हकदार हैं। प्रतिपक्षी को अर्जित की गयी रैयती भूमि का मुआवजा भुगतान का नोटिस देना चाहिए।

आवेदक को जब यह जानकारी हुयी कि उनकी भूमि का अर्जन **बिहार सरकार** करके दर्शाया गया है तो उन्होंने इसकी आपत्ति लिखित रूप में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को किया। उक्त भूमि वाणिज्यिक है जो काफी मूल्यवान है। आवेदक मध्यस्थ न्यायालय से निम्नांकित बिन्दु पर आदेश प्राप्त करने हेतु यह आवेदन दाखिल किया है:–

1– खेसरा संख्या–131 जो एन0एच0104 के चौड़ीकरण हेतु अर्जन किया गया है, को रैयती भूमि घोषित किया जाय एवं मुआवजा का भुगतान का आदेश दिया जाय।

2– आवेदक को बाजार दर पर अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान का आदेश दिया जाय।

प्रतिपक्षी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–499/जि0भू0अ0दिनांक–30 मार्च 2017 से प्रतिवेदन दिया गया है कि मौजा–बेलही खेसरा संख्या–131 रकवा 0.442 हेक्टेयर का अर्जन किया गया है। किस्म का स्थल जॉच कर अधियाची विभाग, कार्यपाकल अभियंता–सह–पी0आई0यू0हेड एन0एच0104 राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, सीतामढ़ी द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव को कानूनगो द्वारा जांच किया गया है। तत्पश्चात् अंचल अमीन द्वारा स्थल निरीक्षण कर खेसरा पंजी तैयार किया गया है जिसका पुनः निरीक्षण कानूनगो एवं तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं उसमें प्राप्त आपत्तियों का भी विधिवत् सुनवाई कर किस्म निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित खेसरा में भी उक्त सारी प्रकिया अपनाकर ही उस समय भूमि का जो स्वरूप था, उसी के अनुरूप ही किस्म का निर्धारण किया गया है। **एन0एच0104 में अंचल–जयनगर मौजा–बेलही खेसरा 131 रकवा 0.442 हेक्टेयर का किस्म नहर बिहार सरकार की जमीन है।**

अंचल अधिकारी, जयनगर के पत्रांक–528 दिनांक–24.03.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन का मुख्य अंश है कि:–

1– मौजा– बेला बेलही थाना संख्या–119 के पुराना खाता संख्या–1006 पुराना खेसरा संख्या–84 रकवा 0–7–2 धूर खतियानी रैयत बोकन मियॉ वगैरह के नाम से है।

2– **नया खाता संख्या–4232 नया खेसरा संख्या–131 किस्म नहर रकवा 4.27 डिसमल रैयत अनाबाद बिहार सरकार करके खाता खुला हुआ है।**

3– रैयत की ओर से बी0टी0एक्ट 106 के अंतर्गत हकीयत वाद संख्या–1168/93 दायर किया गया, जिसमें सुधार कर रैयती घोषित किया गया।

4– आवेदक की ओर से भू–अर्जन संबंधी सूचना की मांग किये जाने पर खेसरा संख्या–84 की अर्जन उपरोक्त परियोजना में नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया।

5– कार्यपालक अभियंता, कमल नहर प्रमण्डल, जयनगर ने अपील वाद संख्या–34/2017 संजीव कुमार यादव–बनाम–सरकार में अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर के पत्रांक–41 दिनांक–20.07.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संलग्न किया। कार्यपालक अभियंता ने स्वयं कोई स्पष्ट टिप्पणी/मंतव्य नहीं दिया जबकि उनसे प्रतिवेदन मांगा गया था।

निष्कर्ष:–

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन एवं संलग्न साक्ष्यों, प्रतिपक्षी–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन, अंचल अधिकारी, जयनगर से प्राप्त स्थल जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन एवं उपलब्ध कागजातों/साक्ष्यों का अवलोकन एवं परिसिलन किया।

1– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी ने एन0एच0104 में अंचल–जयनगर मौजा–बेलही खेसरा 131 रकवा 0.442 हेक्टेयर का किस्म नहर बिहार सरकार की जमीन होने के कारण

मुआवजा भुगतान हेतु किसी रैयत को नोटिस निर्गत नहीं किया गया।

2– आवेदक भी इस बात को स्वीकार किये हैं कि रिविजनल सर्वे खतियान में भूलवश किस्म नहर बिहार सरकार दर्शाया गया है जिसका सुधार हो चुका है।

3– कार्यपालक अभियंता, कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर ने अपील वाद संख्या–34/2017 संजीव कुमार यादव–बनपाम–सरकार में अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर के पत्रांक–41 दिनांक–20.07.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संलग्न किया। कार्यपालक अभियंता ने स्वयं कोई स्पष्ट टिप्पणी/मंतव्य नहीं दिया जबकि उनसे प्रतिवेदन मांगा गया था।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी–सह–सक्षम प्राधिकार से प्राप्त पक्ष से स्पष्ट है कि **अंचल–जयनगर मौजा–बेलही खेसरा–131 रकवा 0.442 हेक्टेयर का किस्म नहर बिहार सरकार है जिस कारण मुआवजा भुगतान की कार्रवाई नहीं की गयी।** जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रस्तुत लिखित पक्ष से मैं सहमत हूँ। चूँकि अर्जित भूमि बिहार सरकार के खाते की है इसलिए रैयत द्वारा मुआवजा का भुगतान पाने के दावा को उचित नहीं पाते हुये आवेदक के दावा आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखाप्रित

14/5/18

मध्यस्थ पदाधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

मध्यस्थ पदाधिकारी
सह- अपर समाहर्ता
मधुबनी

14/5/18

मध्यस्थ पदाधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

मध्यस्थ पदाधिकारी
सह- अपर समाहर्ता
मधुबनी